# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

| अपील संख्या | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 11/01/2019 | 15—01—2019 | 27—02—2019 |

1—किरोस्ता पुत्री मातादीन जाति अहीर निवासी ग्राम कान्हावास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 पत्नी सूरजभान जाति अहीर निवासी ग्राम सीहमा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

अपीलान्ट

बनाम

1—तहसीलदार, नीमरानाजिला अलवर।

रेस्पाडेन्ट

**अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार नीमराना का निर्णय दिनांक 04.06.2018 नामान्तकरण संख्या 1276 ग्राम कान्हावास तहसील नीमराना जिला अलवर।**

**उपस्थितः—**

01. श्री रामेश्वर दयाल —वकील अपीलान्टस

—–:: निर्णय ::—–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 04.06.2018 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 1276 ग्राम कान्हावास तहसील नीमराना, जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मिन अपीलांटा ग्ग्रम कान्हावास तहसील नीमराना की रहने वाली है। अपीलांटा की माता श्रीमति चमेली देवी पत्नी श्री मातादीन की मृत्यु होने पर उनकी विरासत का इंतकाल संख्या 1276 पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया। पटवारी हल्का द्वारा मृतका के वारिसान का सजरा बनाया। जिसमें अपीलांटा का नाम किरोस्ता के स्थान पर संयोगिता अंकित कर दिया तथा उस इंतकाल को तहसीलदार द्वारा बिना जांच किए बैजा तौर पर स्वीकार कर लिया। अपीलांटा का वास्तविक नाम किरोस्ता पुत्री मातादीन है तथा अपीलांटा के पिता मातादीन की विरासत का इंतकाल खोला गया उसमें भी अपीलांटा का नाम किरोस्ता अंकित है। लेकिन पटवारी हल्का की गलती एवं लापरवाही से इंतकाल दर्ज करते समय अपीलांटा का नाम किरोस्ता के स्थान पर संयोगिता अंकित कर दिया गया। अपीलांटा के पिता मातादीन की विरासत का इंतकाल संख्या 499 में मिन अपीलांटा का सही नाम किरोस्ता पुत्री मातादीन दर्ज है। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार फरमाया जाकर विरासत इंतकाल संख्या 1276 निरस्त कर अपीलांटा की माताजी श्रीमति चमेली देवी पत्नी मातादीन की विरासत में अपीलांटा का नाम किरोस्ता पुत्री मातादीन दर्ज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांटा के पिता का विरासत इतकाल में अपीलांटा का नाम किरोस्ता अंकित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अतः अपील अपीलाण्टा तहसीलदार नीमराना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांटा के दस्तावेजात् का भली–भांति परीक्षण कर पुनः विधिसवत् निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक **27–02–2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)